Mains MATRIX

सामग्री सूची

1.भारत की आक्रामक प्रजातियाँ: दस्तावेज़ बनाएं या संरक्षण करें — एक दुविधा
2.एक निर्णय जो बारीक पहलुओं को नज़रअंदाज़ करता है
3.भारत–ब्रिटेन संबंधों के लिए एक आधार: आर्थिक साझेदारी
4.अनियंत्रित 'पूर्व-अपराध' ढाँचे का ख़तरा
5.क्या श्रमिकों के अधिकार कमज़ोर किए जा रहे हैं?
6.मणिपुर के आँकड़े 2023 में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों के वास्तविक पैमाने को छिपाते हैं

भारत की आक्रामक प्रजातियाँ: एक दुविधा — दस्तावेज़ बनाएं या संरक्षण करें

1. मुख्य समस्या और दुविधा

समस्या:

आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ (Invasive Alien Species - IAS) स्थानीय जैव विविधता को नष्ट कर रही हैं, परिदृश्यों को बदल रही हैं और देशी प्रजातियों को विलुप्ति की ओर धकेल रही हैं।

दुविधा:

क्या वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को पहले सभी आक्रामक प्रजातियों के प्रभावों का पूरा दस्तावेज़ तैयार करना चाहिए और उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण दोनों कार्य समानांतर रूप से चलने चाहिए?

2. आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ (IAS) क्या हैं?

वे गैर-देशी प्रजातियाँ हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा — **जानबूझकर या अनजाने में** — नए पर्यावरण में लाया गया है, जैसे कि:

- सजावटी मछलियाँ और झाड़ियाँ।
- भूमि पुनरुत्थान या मृदा अपरदन नियंत्रण जैसे समाधान हेतु प्रजातियाँ।

समय के साथ ये प्रजातियाँ "कब्जा" कर लेती हैं — स्थानीय जैव विविधता को विस्थापित करती हैं और आवासों को बिगाड़ती हैं।

3. समस्या का पैमाना

वैश्विक स्तर पर:

- लगभग **37,000 विदेशी प्रजातियाँ** पहले से स्थापित हैं।
- हर साल लगभग **200 नई प्रजातियाँ** जुड़ती हैं।
- इनमें से लगभग **3,500 (10%)** प्रजातियाँ नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।

भारत में:

- लगभग **139 आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ** दर्ज की गई हैं।
- इनमें से अधिकांश **फसलों पर हमला करने वाले कीट (insect crop pests)** हैं।

---

4. प्रमुख उदाहरण और उनके प्रभाव

A. स्थलीय पौधे

लैंटाना कैमरा (Lantana camara):
सजावटी झाड़ी के रूप में लाई गई थी। यह बड़े शाकाहारी जानवरों (जैसे हाथी) के लिए अनुपयोगी है, आवासों को नष्ट करती है और जानवरों को खेतों की ओर धकेलती है, जिससे **मानव-वन्यजीव संघर्ष** बढ़ता है।

प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा (Prosopis juliflora):
मिट्टी की लवणता और अपरदन रोकने के लिए लाई गई थी। यह अत्यधिक पानी खपत करने वाला पौधा है जो देशी घासों और वृक्षों से प्रतिस्पर्धा करता है, जिससे मिट्टी की लवणता बढ़ती है और पारंपरिक चरवाहा नेटवर्क टूटते हैं।

B. जलीय पौधे (Aquatic Weeds)

वाटर हायसिंथ (Water Hyacinth):
दुनिया की सबसे खतरनाक आक्रामक प्रजातियों में से एक — यह धान के खेतों से लेकर काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों तक फैल चुकी है।

अन्य आक्रामक पौधे: ऐलिगेटर वीड, डक वीड, वाटर लेट्यूस।

C. पशु (Animals)

कीट:
पीला पागल चींटी (Yellow Crazy Ant) देशी चींटी प्रजातियों को खत्म कर पारिस्थितिक संतुलन बिगाड़ती है।

मछलियाँ:
भारत की लगभग **62% जलीय प्रजातियाँ विदेशी** हैं — जिन्हें एक्वेरियम व्यापार, मत्स्य पालन और खेल मछली पकड़ने के जरिए लाया गया। ये भारत की **1,070 संकटग्रस्त मीठे पानी की मछलियों** के लिए गंभीर खतरा हैं।

---

5. मुख्य चुनौती: कमजोर दस्तावेज़ीकरण

भारत में अधिकांश आक्रामक प्रजातियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, जैसे:

- उनका आक्रमण इतिहास,
- प्रभावित क्षेत्रों के मानचित्र,
- या उनके परिणामों की सीमा।

मीठे पानी की आक्रमण जीवविज्ञान (Freshwater Invasion Biology) अभी "प्रारंभिक अवस्था" में है।
इसमें अभाव है:

- सूक्ष्म स्तर पर वितरण के अध्ययन का,
- देशी प्रजातियों के साथ पारस्परिक संबंधों के अध्ययन का,
- और प्रजाति व पारिस्थितिकी तंत्र दोनों स्तरों पर प्रभाव के विश्लेषण का।

6. प्रभाव के स्तर

स्तर	प्रभाव
प्रजाति स्तर (Species Level)	देशी प्रजातियों की जीवित रहने और प्रजनन करने की क्षमता को कम करता है।
जनसंख्या स्तर (Population Level)	जनसंख्या का आकार और आनुवंशिक विविधता घटाता है,
	जिससे स्थानीय विलुप्ति होती है।
समुदाय स्तर (Community Level)	बहु-प्रजातीय समुदायों की संरचना और कार्य में बदलाव लाता है।
पारिस्थितिक तंत्र स्तर (Ecosystem Level)	पोषक चक्र और खाद्य जाल जैसी मूलभूत प्रक्रियाओं को बदल देता है, जिससे पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है।

7. प्रस्तावित समाधान और सिफारिशें

समानांतर दृष्टिकोण (Parallel Approach):
पूरा दस्तावेज़ तैयार होने का इंतज़ार न करें। इसके बजाय, अन्य देशों से मिली जानकारी का उपयोग करते हुए **अध्ययन और संरक्षण योजनाएँ समानांतर रूप से चलाएँ।**

मानकीकृत विधियाँ (Standardized Methods):
IAS के संचयी प्रभावों का आकलन करने के लिए **मात्रात्मक मानचित्रण तकनीकें** विकसित करें ताकि उच्च-प्रभाव वाली प्रजातियों और प्राथमिक कार्य क्षेत्रों की पहचान की जा सके।

सहयोग (Collaboration):
वैज्ञानिकों को अपने क्षेत्रीय दायरे से बाहर

निकलकर विविध हितधारकों से संवाद करना चाहिए, ताकि रोकथाम और नियंत्रण उपाय अधिक प्रभावी हों।

नागरिक विज्ञान (Citizen Science):
जन भागीदारी को बढ़ावा दें — लोग अपने स्तर पर आक्रामक प्रजातियों के वितरण का **डेटाबेस बनाने में मदद कर सकते हैं।**

HOW TO USE IT

1. जैव विविधता और संरक्षण (Biodiversity and Conservation)

कैसे उपयोग करें:
यह लेख जैव विविधता के लिए एक बड़े और अक्सर नज़रअंदाज़ किए गए खतरे — **आक्रामक विदेशी प्रजातियों (Invasive Alien Species - IAS)** — पर एक उत्कृष्ट केस स्टडी प्रस्तुत करता है।

- **देशी प्रजातियों के लिए खतरा:**
  विशेष उदाहरणों का उपयोग करें ताकि यह दिखाया जा सके कि IAS केवल एक मामूली समस्या नहीं, बल्कि **विलुप्ति के प्रमुख कारणों में से एक** हैं।
  उदाहरण: भारत की **1,070 संकटग्रस्त मीठे पानी की मछलियों** को विदेशी एक्वेरियम मछलियों से गंभीर खतरा है — यह आँकड़ा एक सशक्त साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र स्तर पर परिवर्तन:**
  केवल प्रजातियों की सूची देने तक सीमित न रहें।
  बहु-स्तरीय प्रभाव को समझाएँ —
  - **प्रजाति स्तर पर:** लैंटाना जैसी झाड़ियाँ देशी पौधों को पछाड़ती हैं।
  - **पारिस्थितिकी तंत्र स्तर पर:** *प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा* जलस्तर और मिट्टी की रासायनिक संरचना को बदल देती है।
    इस प्रकार की व्याख्या एक गहरी समझ को दर्शाती है।

2. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment - EIA)

कैसे उपयोग करें:
जैसे *प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा* जैसी प्रजातियों को "समाधान" (जैसे अपरदन नियंत्रण) के रूप में लाया गया, जो बाद में स्वयं एक **समस्या बन गईं** — यह पर्यावरणीय दूरदर्शिता की विफलता को उजागर करता है।

इसे इस तर्क के लिए उपयोग किया जा सकता है कि **किसी भी गैर-देशी प्रजाति को लाने से पहले कठोर जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रभाव आकलन (EIA जैसे तंत्र)** अनिवार्य होने चाहिए। इससे **परियोजनाओं के लिए अपनाए गए EIA प्रक्रिया** के समानांतर एक ढांचा तैयार करने की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

द्वितीयक प्रासंगिकता: जीएस पेपर–II (शासन) और जीएस पेपर–IV (नीति एवं नैतिकता)

GS Paper II: शासन (Governance), नीतियाँ एवं हस्तक्षेप

कैसे उपयोग करें:

लेख में सुझाए गए "समाधान" वस्तुतः एक **शासन-रोडमैप (governance roadmap)** प्रस्तुत करते हैं।

- **समानांतर दृष्टिकोण (Parallel Approach):** दस्तावेज़ीकरण और कार्रवाई को एक साथ चलाने की आवश्यकता बताई गई है।
- **सहयोग (Collaboration):** वैज्ञानिकों और हितधारकों के बीच समन्वय जटिल पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है।

यह दिखाता है कि जहाँ पूर्ण डेटा की प्रतीक्षा विनाशकारी हो सकती है, वहाँ शासन में **संतुलित और सक्रिय दृष्टिकोण** आवश्यक है।

GS Paper IV: नैतिकता (Ethics)

कैसे उपयोग करें:

"दस्तावेज़ बनाएं या संरक्षण करें" की दुविधा एक **नैतिक संघर्ष** प्रस्तुत करती है।

- एक ओर, **सावधानी सिद्धांत (Precautionary Principle)** के आधार पर कार्य करना नैतिक कर्तव्य है, ताकि **अपरिवर्तनीय क्षति** को रोका जा सके।
- दूसरी ओर, यह भी नैतिक जिम्मेदारी है कि कार्रवाई **साक्ष्य-आधारित (evidence-based)** हो और **लोक संसाधनों की बर्बादी** न करे।

इन दोनों के बीच संतुलन बनाना **व्यावहारिक बुद्धिमत्ता (Practical Wisdom)** की परीक्षा है।

एक फैसला जो बारीकियों को नज़रअंदाज़ करता है

लेखक: कैलासेलवन पेरियासामी – पर्यावरण एवं सामाजिक विशेषज्ञ

प्रकाशित स्थान: *The Hindu*

विषय: भारत में सुप्रीम कोर्ट के *पश्चगामी (retrospective) पर्यावरणीय स्वीकृतियों (Environmental Clearances - ECs)* को अवैध घोषित करने के फैसले के निहितार्थ

⚖️ **पृष्ठभूमि (Background)**

📅 **फैसला:** 16 मई (संदर्भ के अनुसार वर्ष 2024–25)
🏛️ **अदालत:** भारत का सर्वोच्च न्यायालय

मुख्य निर्णय:
यदि कोई परियोजना बिना पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के बनाई गई है, तो उसे बाद में वैध नहीं ठहराया जा सकता।

📚 **संदर्भ और कानूनी इतिहास (Context and Legal History)**

⏳ **एक दशक लंबी बहस:**
यह विवाद 2013 से चला आ रहा है, जब **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)** की दक्षिणी पीठ ने पर्यावरण मंत्रालय की उस प्रथा पर रोक लगाई थी, जिसमें पहले से शुरू हो चुकी परियोजनाओं को *पश्चगामी (post-facto)* मंजूरी दी जा रही थी।

प्रमुख मामला: *S.P. Muthuraman बनाम भारत संघ (2015)*
बाद में *Vanshakti बनाम भारत संघ (2025)* में इसकी पुष्टि की गई।

पिछले 12 वर्षों में भारत के अवसंरचना और रियल एस्टेट क्षेत्र यह मानकर चलते रहे कि *post-facto* स्वीकृतियाँ नियमित की जा सकती हैं।

⚖️ **प्रभाव (Impact)**

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला **कानूनी अनिश्चितता (legal uncertainty)** पैदा करता है।

- हज़ारों इमारतें, कारखाने और सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाएँ — जो बिना पूर्व EC के बनी हैं — अब **विध्वंस (demolition)** के जोखिम में हैं।
- इस फैसले से **नियामक (regulatory)** और **निर्णय-निर्माण ढाँचे (decision-making frameworks)** में एक शून्य (vacuum) बन गया है।

जहाँ फैसला कमज़ोर पड़ता है (Where the Verdict Falls Short)

1. क्रियान्वयन पर कोई मार्गदर्शन नहीं:
अदालत ने यह नहीं बताया कि जो परियोजनाएँ पहले से चल रही हैं, उनके साथ क्या किया जाए।
राज्य सरकारें अपनी-अपनी तरह से निर्णय ले रही हैं, जिससे असंगति और अव्यवस्था फैल रही है (जैसे– विध्वंस अभियान)।

2. संभावित दुष्प्रभाव:

- इमारतों, स्कूलों और उद्योगों को गिराने से **धूल, मलबा और उत्सर्जन** के कारण पर्यावरणीय नुकसान बढ़ सकता है।

- स्थानीय अर्थव्यवस्थाएँ प्रभावित होंगी और समुदायों का **विस्थापन (displacement)** हो सकता है।

3. मुख्य सिद्धांतों की अनदेखी:

- उल्लंघनों के **पैमाने और प्रभाव** पर विचार नहीं किया गया।
- संविधान के **अनुच्छेद 21 के तहत सतत विकास (sustainable development)** की भावना को नज़रअंदाज़ किया गया।

🏗️ **नियामक अस्पष्टताएँ (Regulatory Ambiguities)**

अन्य कानूनों से ओवरलैप:

अदालत ने *EIA Notification, 2006* का हवाला दिया, लेकिन इन पर चुप रही —

- *Coastal Regulation Zone (CRZ) Notification, 2011*
- *Environment (Protection) Act, 1986*

इससे **तटीय एवं बंदरगाह परियोजनाओं** के लिए कानूनी भ्रम बढ़ गया है।

अन्य पर्यावरणीय कानून:

- *जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974*
- *वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981*

दोनों में अपराधात्मक दंड (criminal penalties) का प्रावधान है, जिससे *post-facto* वैधीकरण लगभग असंभव हो जाता है।

आर्थिक प्रभाव:

- बिना EC वाली परियोजनाएँ **बंद** या **दंडित** की जा सकती हैं।
- **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs)** की जवाबदेही भी बढ़ेगी।
- हज़ारों **रोज़गार और आजीविकाएँ** प्रभावित हो सकती हैं।

⚖️ **फैसले की आलोचना (Critique of the Verdict)**

हालाँकि अदालत का इरादा सही था, लेकिन—

- इसने राज्यों में **नियामक भ्रम** पैदा कर दिया है।
- **आर्थिक हानि** और **सामाजिक अव्यवस्था** का खतरा बढ़ गया है।
- यह प्रणालीगत सुधार के बजाय केवल **अनुपालन की विफलताओं को दंडित** करता है।

विशेषज्ञों की चेतावनी:

- अंधाधुंध विध्वंस और रद्दीकरण से न तो पर्यावरण को लाभ होगा, न न्याय को।

- यह फैसला सभी उल्लंघनों को **एक समान अपराध** मानता है — चाहे उनका *इरादा, परिमाण या प्रभाव* कुछ भी हो।

🧩 **आगे का रास्ता (Way Forward / Suggestions)**

⚖️ **संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता:**

एक **संकर (hybrid)** अनुपालन मॉडल अपनाया जाए जो—

- न्यायालय के पर्यावरणीय कानूनों के पालन के उद्देश्य को बनाए रखे,
- साथ ही **सामाजिक–आर्थिक वास्तविकताओं** को ध्यान में रखे,
- और **संवेदनशील क्षेत्रों में समयबद्ध सुधारात्मक कदमों** के माध्यम से नियमितीकरण की अनुमति दे।

🔧 **नीतिगत सिफारिशें (Policy Recommendations):**

- मौजूदा परियोजनाओं के लिए **अनिवार्य पर्यावरणीय आकलन (EIA)** किया जाए।
- **जुर्माने और पुनर्स्थापनात्मक दायित्व (restoration duties)** लगाए जाएँ।
- केवल दंड नहीं, बल्कि **रोकथाम और सुधार (prevention & reform)** को बढ़ावा दिया जाए।
- **स्व–रिपोर्टिंग, पारदर्शी निगरानी और वैज्ञानिक शासन** को सशक्त बनाया जाए।

🧭 **निष्कर्ष (Conclusion)**

यह फैसला **पर्यावरणीय क़ानून के शासन (rule of law)** के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता दिखाता है,
परंतु इसके **सूक्ष्म कार्यान्वयन (nuanced implementation)** की आवश्यकता को अनदेखा करता है।

भारत को चाहिए —

- **स्मार्ट अनुपालन प्रणाली (smarter compliance systems),**
- **विज्ञान-आधारित नीति (science-based policy),**
- और **एकीकृत पर्यावरणीय एवं आर्थिक नियोजन (integrated planning)।**

📌 **मुख्य उद्धरण:**

"सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसने *post-facto* या *retrospective* पर्यावरणीय स्वीकृतियों को अवैध घोषित किया, सदाशय तो है, परंतु उसने राज्यों में भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी है।"

How to use

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर III (पर्यावरण और पारिस्थितिकी)

यह विषय सबसे प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण रूप से "संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, तथा पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment - EIA)" से जुड़ा हुआ है।

---

1. पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment - EIA):

कैसे उपयोग करें:

यह निर्णय *EIA प्रक्रिया की आत्मा* पर आधारित एक ऐतिहासिक फैसला है।

पूर्व-स्वीकृति का सिद्धांत (Principle of Prior Approval):

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला *सावधानी सिद्धांत (precautionary principle)* को पुनः सुदृढ़ करता है, जो EIA प्रक्रिया की नींव है।

इस सिद्धांत का मूल विचार यह है कि **पर्यावरणीय नुकसान का आकलन पहले किया जाए, बाद में वैधीकरण नहीं।**

Post-Facto Approval की आलोचना:

आप इस लेख का उपयोग यह तर्क देने के लिए कर सकते हैं कि *post-facto* स्वीकृति की पुरानी प्रथा ने EIA को केवल एक "रबर स्टैम्प" बना दिया था, जिससे उल्लंघन की संस्कृति पनपी — परियोजनाएँ पहले बनाई जाती थीं और अनुमति बाद में ली जाती थी।

संभावित प्रश्न:

"सुप्रीम कोर्ट का *retrospective environmental clearance* के विरुद्ध फैसला 'सावधानी सिद्धांत' को मजबूत करता है, पर इसके क्रियान्वयन में गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।" — विवेचना कीजिए।

---

2. संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण (Conservation, Environmental Pollution and Degradation):

कैसे उपयोग करें:

यह लेख पर्यावरणीय शासन (environmental governance) में मौजूद एक गहरी दुविधा को उजागर करता है।

अनपेक्षित पर्यावरणीय परिणाम (Unintended Environmental Consequences):

लेखक का यह मत कि विध्वंस (demolition) से धूल, मलबे और प्रदूषण के रूप में अधिक पर्यावरणीय हानि हो सकती है, अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यह दर्शाता है कि न्यायपालिका का कठोर, *one-size-fits-all* दृष्टिकोण कभी-कभी उन्हीं पर्यावरणीय लक्ष्यों के विपरीत परिणाम दे सकता है, जिन्हें वह प्राप्त करना चाहती है।

मज़बूत प्रासंगिकता: जीएस पेपर II (शासन और राजनीति)

यह मुद्दा *न्यायिक अतिक्रमण (judicial overreach)*, *नीतिगत खामियों* और *कार्यान्वयन चुनौतियों* का एक उत्कृष्ट अध्ययन है।

---

1. न्यायपालिका: संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली (Judiciary: Structure, Organization and Functioning):

कैसे उपयोग करें:

यह निर्णय न्यायिक हस्तक्षेप की ताकत और सीमाओं — दोनों को दर्शाता है।

न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism):

अदालत ने पर्यावरण मंत्रालय की वर्षों पुरानी गलत प्रथाओं को सुधारने के लिए हस्तक्षेप किया और *कानून के शासन (rule of law)* को बनाए रखा।

यह न्यायिक सक्रियता का एक सकारात्मक उदाहरण है।

न्यायपालिका की सीमाएँ (Limitations of Judiciary):

लेख की मूल आलोचना यह है कि अदालत ने यह तो बताया कि *क्या नहीं होना चाहिए* (post-facto clearance अवैध है), लेकिन यह नहीं बताया कि *पहले से चल रही परियोजनाओं के साथ क्या किया जाए*।

इससे एक *नीतिगत शून्य (policy vacuum)* और *नियामक भ्रम (regulatory confusion)* की स्थिति बन गई — जो शासन की विफलता का संकेत है।

संभावित प्रश्न:

"न्यायिक निर्णय प्रायः समस्या के 'क्या' पक्ष को संबोधित करते हैं, परंतु 'कैसे' को कार्यपालिका पर छोड़ देते हैं, जिससे क्रियान्वयन संकट उत्पन्न होता है।" — हाल के किसी उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए।

---

2. सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप (Government Policies and Interventions):

कैसे उपयोग करें:

लेख का "आगे का रास्ता" (Way Forward) खंड एक तैयार नीतिगत सुझाव है।

लेखक द्वारा सुझाया गया **"संकर अनुपालन मॉडल (Hybrid Compliance Model)"** — जिसमें

- जुर्माना (fines),
- पुनर्स्थापनात्मक दायित्व (restoration duties),
- और *समयबद्ध नियमितीकरण (time-bound regularisation)* शामिल हैं — पर्यावरणीय अखंडता (environmental integrity) और सामाजिक–आर्थिक यथार्थ (socio-economic realities) के बीच एक संतुलित समाधान प्रदान करता है।

भारत-ब्रिटेन संबंधों की एक मज़बूत कड़ी, आर्थिक साझेदारी

1. मुख्य घटना और महत्व

- **घटना:** ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए मुंबई यात्रा।
- **महत्व:** यह यात्रा वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक बदलावों के दौर में द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने और उन्हें नई ऊँचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य रखती है। यह दोनों पक्षों की "प्रगति में सच्चे साझेदार" बनने की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

2. आधारभूत समझौते

- **सीईटीए (व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता):** जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित (अभी अनुसमर्थन की प्रतीक्षा)। इसे रिश्ते की रणनीतिक नींव के रूप में देखा जा रहा है और उम्मीद है कि यह **2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना** कर देगा।
- **डीसीसी (दोहरा योगदान समझौता):** यूके में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के नियोक्ताओं को तीन साल तक दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट देता है, जिससे कुशल कर्मचारियों की आवाजाही आसान होगी।
- **द्विपक्षीय निवेश संधि:** इस पर बातचीत जारी है, जिससे भारत में ब्रिटेन के निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

3. प्रमुख आर्थिक लाभ और अवसर

- **भारत के लिए:**
  - निर्यात (टेक्सटाइल, कृषि वस्तुएं, फार्मास्यूटिकल्स) पर कम टैरिफ।
  - प्रौद्योगिकी साझेदारी और वैश्विक मानकों तक पहुंच।
  - यूरोपीय बाजारों तक आसान पहुंच।
  - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि (ब्रिटेन भारत का छठा सबसे बड़ा निवेशक है)।
- **ब्रिटेन के लिए:**
  - निर्यात (स्कॉच व्हिस्की, ऑटोमोबाइल) पर कम शुल्क।
  - वैश्विक निर्यात और उत्पादन के केंद्र के रूप में भारत का लाभ उठाना।
  - हरित वित्त और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में अवसरों के साथ एक विशाल और बढ़ते बाजार तक पहुंच।

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

4. रणनीतिक सहयोग रोडमैप

- **विजन 2025 रोडमैप:** निम्नलिखित क्षेत्रों में गहन सहयोग की रूपरेखा:
    - **रक्षा:** उन्नत प्लेटफार्मों के संयुक्त विकास और सह-उत्पादन पर ज़ोर।
    - **प्रौद्योगिकी:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और उन्नत सामग्री में सहयोग।
    - **अन्य क्षेत्र:** जलवायु कार्यवाई, शिक्षा और श्रमिक गतिशीलता।
- **प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल (TSI):** 2024 में शुरू की गई, यह दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को संवेदनशील प्रौद्योगिकियों में सहयोग के लिए एक साथ लाती है।

5. वैश्विक संदर्भ और व्यापक दृष्टिकोण

- **संदर्भ:** यह यात्रा एक खंडित होती वैश्विक अर्थव्यवस्था और पुनर्गठित हो रहे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की पृष्ठभूमि में हो रही है।
- **व्यापक दृष्टिकोण:** यह साझेदारी निम्नलिखित को जोड़ने का लक्ष्य रखती है:
    - टिकाऊपन में संयुक्त निवेश के साथ व्यापार उदारीकरण।
    - प्रतिभा के लिए गतिशीलता ढांचे के साथ टैरिफ में कमी।
    - महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के सह-विकास के साथ रक्षा खरीद।
- **सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:** नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, डिजिटल वित्त, एयरोस्पेस और उच्च शिक्षा।

6. निष्कर्ष

दोनों नेता एक अगली पीढ़ी की साझेदारी का निर्माण करना चाहते हैं, जो भारत और ब्रिटेन को केवल आर्थिक साझेदारों के रूप में नहीं, बल्कि एक अधिक लचीले, खुले और प्रौद्योगिकी-संचालित वैश्विक व्यवस्था के **सह-वास्तुकार** के रूप में स्थापित करे।

HOW to USE

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध / International Relations)

यह विषय सीधे "भारत और अन्य देशों के साथ उसके संबंध" तथा "विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव" के अंतर्गत आता है।

1. भारत और उसके अंतरराष्ट्रीय संबंध (India and its International Relations):

कैसे उपयोग करें:

भारत–ब्रिटेन साझेदारी एक *आधुनिक, व्यापक रणनीतिक संबंध* (Comprehensive Strategic Partnership) का आदर्श उदाहरण है।

ऐतिहासिक संबंधों से आगे:

यद्यपि कॉमनवेल्थ का ऐतिहासिक जुड़ाव एक पृष्ठभूमि प्रदान करता है, लेख यह दर्शाता है कि यह संबंध 21वीं सदी के लिए *नवीन रूप में पुनर्परिभाषित* हुआ है — अब इसका केंद्र **व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy)** है।

पश्चिम के साथ संबंधों का एक मॉडल:

भारत–ब्रिटेन मॉडल की तुलना भारत–अमेरिका संबंधों (जो अधिक रणनीतिक और जटिल हैं) तथा भारत–यूरोपीय संघ (EU) संबंधों (जो धीमी गति से विकसित हो रहे हैं) से की जा सकती है।

यह भारत की उस क्षमता को दिखाता है कि वह प्रमुख पश्चिमी शक्तियों के साथ **गहरे और विषय-विशिष्ट द्विपक्षीय संबंध (deep, issue-based bilateral partnerships)** विकसित कर सकता है।

संभावित प्रश्न:

"भारत की विदेश नीति में 'रणनीतिक स्वायत्तता' अब मुद्दा-आधारित गठबंधनों और गहरे द्विपक्षीय साझेदारियों से परिभाषित होती है।" — किसी प्रमुख शक्ति के साथ भारत के संबंधों के संदर्भ में विवेचना कीजिए।

---

2. द्विपक्षीय समूह और समझौते (Bilateral Groupings & Agreements):

कैसे उपयोग करें:

लेख में उल्लिखित समझौते यह दर्शाते हैं कि कूटनीति कैसे ठोस परिणामों में परिवर्तित होती है।

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement):

यह भारत के *नई पीढ़ी के व्यापार समझौतों* का एक उत्कृष्ट उदाहरण है — जो न केवल द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर केंद्रित है, बल्कि **मूल्य श्रृंखलाओं (value chains)** के एकीकरण को भी बढ़ावा देता है।

यह सामान्य "व्यापार बढ़ाने" वाली बातों से आगे बढ़कर एक ठोस रणनीतिक आर्थिक पहल दर्शाता है।

Defence Industrial Roadmap:

यह केवल *खरीदार–विक्रेता* संबंध से आगे बढ़कर एक **संयुक्त विकास और सह-उत्पादन (joint development & co-production)** मॉडल प्रस्तुत करता है।

यह "आत्मनिर्भर भारत" (Atmanirbhar Bharat) की रक्षा-नीति के अनुरूप है, जिससे रक्षा आयात पर निर्भरता घटेगी।

द्वितीयक प्रासंगिकता: जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था और सुरक्षा)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy):

कैसे उपयोग करें:

लेख में भारत–ब्रिटेन साझेदारी के स्पष्ट *आर्थिक लाभ* बताए गए हैं।

- **निर्यात को बढ़ावा:** भारतीय वस्त्र, औषधि (pharmaceuticals) और कृषि उत्पादों पर टैरिफ में कमी।
- **निवेश आकर्षण:** ब्रिटेन भारत का *छठा सबसे बड़ा निवेशक* है, और एक द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty) पर काम चल रहा है।
- **कुशल पेशेवरों की गतिशीलता:** *Double Contributions Convention (DCC)* एक ऐसी नीति है जो भारतीय पेशेवरों और IT क्षेत्र को सीधे लाभ पहुँचाती है — यह प्रवासी आय (remittances) को भी सशक्त करती है।

2. सुरक्षा (Security):

कैसे उपयोग करें:

Technology Security Initiative (TSI) एक अत्यंत उच्च-स्तरीय सहयोग मंच है।

इस पहल के अंतर्गत भारत और ब्रिटेन के *राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Advisers)* **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम तकनीक, और सेमीकंडक्टर** जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में मिलकर कार्य करते हैं।

यह *रणनीतिक विश्वास (strategic trust)* का प्रतीक है और डिजिटल युग में राष्ट्रीय सुरक्षा का एक आवश्यक घटक बन चुका है।

एक अनियंत्रित 'प्री-क्राइम' ढाँचे का ख़तरा

1. मुख्य तर्क और केंद्रीय रूपक (Core Argument & Central Metaphor)

मुख्य तर्क:

भारत के *निरोधात्मक निरोध कानून (Preventive Detention Laws)* एक ऐसे *"प्री-क्राइम फ्रेमवर्क"* का निर्माण करते हैं जो सामान्य संवैधानिक सुरक्षा से बाहर काम करता है और **स्वतंत्रता, समानता और विधिक प्रक्रिया (due process)** जैसे मौलिक अधिकारों को गंभीर रूप से कमजोर करता है।

केंद्रीय रूपक:

संविधान के अनुच्छेद **22(3)–(7)** को एक *"बरमूडा त्रिकोण"* या *"डेविल्स आइलैंड"* कहा गया है — एक ऐसा क्षेत्र जहाँ मौलिक अधिकार गायब हो जाते हैं और व्यक्ति **अनुच्छेद 14, 19 और 21** के "स्वर्ण त्रिकोण (Golden Triangle)" की संवैधानिक सुरक्षा से अलग-थलग हो जाता है।

2. कानूनी और संवैधानिक समस्या (The Legal and Constitutional Problem)

निरोधात्मक निरोध की परिभाषा:

किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर हिरासत में रखना कि वह भविष्य में अपराध कर सकता है — अर्थात, *अपराध सिद्ध होने से पहले ही दंड।*

मुख्य कानूनी अंतर:

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि —

- **"Public Order" (सार्वजनिक व्यवस्था):** समुदाय के लिए व्यापक खतरा — निरोधात्मक निरोध संभव।
- **"Law and Order" (कानून व्यवस्था):** किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध — इसका निपटान सामान्य आपराधिक प्रक्रिया से होना चाहिए।

वर्तमान समस्या:

केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (KAAPA) जैसे कानूनों में अत्यधिक व्यापक परिभाषाएँ दी गई हैं, जिनका उपयोग साधारण *कानून-व्यवस्था* मामलों में भी किया जा रहा है — जिससे *जमानत प्रक्रिया (bail process)* और *न्यायिक परीक्षण (trial)* को दरकिनार किया जा सकता है।

3. ऐतिहासिक संदर्भ: औपनिवेशिक विरासत (Historical Context: A Colonial Relic)

उद्गम:

निरोधात्मक निरोध की जड़ें 1818 के *बंगाल विनियम (Bengal Regulations)* में हैं, जिनका प्रयोग ब्रिटिश शासक अपने औपनिवेशिक नियंत्रण को बनाए रखने के लिए करते थे।

स्वतंत्र भारत में निरंतरता:

हालाँकि ब्रिटेन ने इन उपायों का उपयोग केवल युद्धकाल में किया, स्वतंत्र भारत ने *विभाजन और अशांति* के संदर्भ में इसे संविधान में शामिल कर लिया — यह औपनिवेशिक विरासत बनी रही।

संविधान सभा की बहसें:

इस प्रावधान पर तीखी बहस हुई थी; कई सदस्यों ने चेतावनी दी थी कि इससे भारत में *"पुलिस-प्रधान संविधान"* (Police-Constable Constitution) बन सकता है।

4. प्रमुख न्यायिक उदाहरण: मिश्रित विरासत (Key Judicial Precedents: A Mixed Legacy)

(A) अधिकारों को सीमित करने वाले निर्णय (Restrictive Precedents):

- **A.K. Gopalan बनाम राज्य मद्रास (1950):**
  निरोधात्मक निरोध को अनुच्छेद 21 से अपवाद माना गया और इसे केवल अनुच्छेद 22 की प्रक्रिया से नियंत्रित

किया गया — अन्य मौलिक अधिकारों से इसे अलग कर दिया गया।

- **A.K. Roy बनाम भारत संघ (1982):** इसने गोपालन की व्याख्या को मजबूत किया — यह कहा कि निरोध कानूनों को अनुच्छेद 14, 19 या 21 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती; *proportionality test* लागू नहीं होगा।

(B) अधिकारों की रक्षा करने वाले निर्णय (Protective Precedents):

- **मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1973):** कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" *न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित* होनी चाहिए, और सभी मौलिक अधिकारों को *एक साथ* पढ़ा जाना चाहिए।
  किंतु यह सिद्धांत *A.K. Roy* मामले में निरोध कानूनों पर लागू नहीं किया गया।
- **Dhanyu M. बनाम केरल राज्य (2025), Rekha बनाम तमिलनाडु राज्य, आदि:**
  हाल के निर्णयों में दोहराया गया कि निरोधात्मक निरोध एक *"अपवादात्मक उपाय"* है, जिसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जाना चाहिए — न कि सामान्य आपराधिक मुकदमे की जगह।

---

5. "माइनॉरिटी रिपोर्ट" रूपक (The "Minority Report" Parallel)

लेख में फिल्म *Minority Report* का रूपक प्रयोग किया गया है, जो निरोधात्मक निरोध के खतरों को दर्शाता है।

समानताएँ:

- **भविष्य के अपराधों की सज़ा:** लोगों को उन अपराधों के लिए दंडित किया जाता है जो उन्होंने अभी किए ही नहीं हैं।
- **न्याय का दरकिनार:** निष्पक्ष सुनवाई, निर्दोषता की धारणा और *audi alteram partem* (दूसरे पक्ष को सुनने का अधिकार) का हनन।
- **त्रुटिपूर्ण भविष्यवक्ता:** निरोधाधिकारियों की *"व्यक्तिपरक संतुष्टि"* को फिल्म के *"Precogs"* की तरह बताया गया है — जो त्रुटिपूर्ण और दुरुपयोग के लिए संवेदनशील हैं, विशेषकर असहमत आवाज़ों और राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध।

---

6. खतरों और परिणामों की रूपरेखा (Dangers and Consequences)

- **मौलिक अधिकारों का क्षरण:** एक ऐसा क्षेत्र निर्मित होता है जहाँ बिना उचित विधिक प्रक्रिया के स्वतंत्रता छीनी जा सकती है।
- **कार्यपालिका का अतिक्रमण:** यह प्रशासन के लिए एक *"आकर्षक हथियार"* बन जाता है, जिससे पुलिस जांच और अभियोजन तंत्र की गुणवत्ता घटती है।
- **असहमति दबाने का साधन:** इसका उपयोग राजनीतिक विरोधियों, प्रदर्शनकारियों और असहमत नागरिकों के विरुद्ध किया जा सकता है।

---

7. निष्कर्ष और सुधार की आवश्यकता (Conclusion and Call for Reform)

तात्कालिक आवश्यकता:

A.K. Gopalan और A.K. Roy मामलों द्वारा स्थापित न्यायिक दृष्टांतों की संवैधानिक वैधता की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए।

सिफारिशें:

- निरोधात्मक निरोध को केवल गंभीर खतरों — जैसे आतंकवाद या अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी — तक सीमित किया जाए।
- इसे सामान्य प्रशासनिक उपकरण के रूप में प्रयोग करने की प्रथा समाप्त की जाए।

अंतिम चेतावनी:

यदि सुधार नहीं हुआ, तो यह *"प्री-क्राइम फ्रेमवर्क"* उन संवैधानिक मूल्यों को ही नष्ट कर देगा, जिनकी रक्षा करने के लिए इसे बनाया गया था।

HOW TO USE IT

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर II (शासन, संविधान, राजनीति)

यह सबसे प्रत्यक्ष और प्रभावशाली विषय है। यह "भारतीय संविधान — ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ" और "शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers)" के अंतर्गत आता है।

---

1. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights):

कैसे उपयोग करें:

यह लेख संविधान के उस प्रावधान की तीखी आलोचना करता है जो मौलिक अधिकारों से एक *"अपवाद" (exception)* पैदा करता है।

"बरमूडा ट्रायंगल" रूपक:

यह एक प्रभावशाली रूपक है, जो दिखाता है कि कैसे अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 19 (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता)

— निरोधात्मक नजरबंदी (Preventive Detention) के तहत व्यक्ति के लिए अप्रभावी हो जाते हैं।

A.K. Gopalan और A.K. Roy के निर्णयों के अनुसार, इन अधिकारों का प्रभाव इस क्षेत्र में समाप्त हो जाता है। यह मौलिक अधिकारों की *आपसी अंतर्संबद्धता (interrelationship)* और उनके *पदानुक्रम (hierarchy)* की गहरी समझ को दर्शाता है।

न्यायिक व्याख्या (Judicial Interpretation):

A.K. Gopalan मामले में *संकीर्ण व्याख्या* (restrictive interpretation) दी गई थी — कि निरोधात्मक नजरबंदी एक स्वतंत्र संहिता (separate code) है, जबकि *Maneka Gandhi मामले* में एक *विस्तृत व्याख्या* (expansive interpretation) दी गई — कि सभी मौलिक अधिकार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

लेख का तर्क है कि न्यायालय ने *Maneka Gandhi के "गोल्डन ट्रायंगल" सिद्धांत* को निरोधात्मक नजरबंदी के मामलों में लागू नहीं किया, जो एक गंभीर चूक है।

संभावित प्रश्न:

"भारत में निरोधात्मक नजरबंदी की संवैधानिक योजना राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक मूलभूत तनाव प्रस्तुत करती है। आलोचनात्मक रूप से परीक्षण करें।"

---

2. भारतीय संविधान — ऐतिहासिक आधार (Historical Underpinnings):

कैसे उपयोग करें:

इन कानूनों की उत्पत्ति को उजागर करना एक महत्वपूर्ण बिंदु है।

औपनिवेशिक विरासत (Colonial Legacy):

यह दिखाना कि निरोधात्मक नजरबंदी एक *"औपनिवेशिक अवशेष" (colonial relic)* है — जिसकी शुरुआत 1818 के *बंगाल विनियमों* (Bengal Regulations) से हुई थी, ब्रिटिश शासन के दौरान सामाजिक नियंत्रण के उपकरण के रूप में।

स्वतंत्र भारत ने इसे *विभाजन और आंतरिक अशांति* की परिस्थितियों के कारण बनाए रखा।

यह तर्क लेख को एक शक्तिशाली ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रदान करता है — जो दिखाता है कि भारत ने उपनिवेशवादी नियंत्रण के औजार को स्वतंत्र शासन में भी जारी रखा।

मजबूत प्रासंगिकता: जीएस पेपर IV (नैतिकता, ईमानदारी और अभिरुचि)

यह पूरा मुद्दा एक *नैतिक द्वंद्व (ethical dilemma)* का उदाहरण है — विशेषकर एक लोकसेवक के लिए।

---

1. शासन में नैतिकता (Ethics in Governance):

कैसे उपयोग करें:

KAAPA जैसी निरोधात्मक नजरबंदी कानूनों का *"साधारण कानून और व्यवस्था"* के मामलों में उपयोग करना गंभीर नैतिक प्रश्न उठाता है।

सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता (Probity and Impartiality):

जब कोई जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त न्यायिक प्रक्रिया (ट्रायल, जमानत आदि) को दरकिनार करने के लिए निरोधात्मक नजरबंदी का प्रयोग करता है, तो यह *सुविधा के लिए शक्ति का दुरुपयोग* है। यह *प्रशासनिक आलस्य और नैतिक पतन* को दर्शाता है।

विवेक बनाम कानून (Conscience vs. Law):

एक सिविल सेवक को अपने *कानूनी कर्तव्य* (law enforcement) और *नैतिक अंतरात्मा* (moral conscience) के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है — जहाँ कानून उसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने को कहे, पर नैतिकता उसे रोकने को कहे।

---

2. भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence):

कैसे उपयोग करें:

किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और *"दोष सिद्ध होने तक निर्दोष"* (presumption of innocence) के सिद्धांत की उपेक्षा करते हुए कठोर कानून लागू करना *संवेदनशीलता और सहानुभूति की कमी* को दर्शाता है।

एक *सहानुभूतिपूर्ण* अधिकारी न केवल कानून का पालन करेगा, बल्कि उसके मानवीय प्रभावों को भी ध्यान में रखेगा।

क्या श्रमिकों के अधिकार क्षीण हो रहे हैं?

---

1. हालिया औद्योगिक दुर्घटनाएँ (केस स्टडीज़)

सिगाची इंडस्ट्रीज, तेलंगाना (30 जून):

- एक *रासायनिक रिएक्टर* फटने से 40 श्रमिकों की मौत और कई घायल।
- रिएक्टर अनुमेय तापमान से *दो गुना अधिक* पर चल रहा था।
- कोई अलार्म नहीं बजा, न ही सुरक्षा अधिकारी ने हस्तक्षेप किया।
- मशीनें पुरानी थीं, रखरखाव की उपेक्षा की गई, श्रमिकों की शिकायतें अनसुनी रहीं।
- दुर्घटना के बाद *कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी* और *अधिकांश श्रमिक पंजीकृत नहीं थे*।

गोल्डराइच पटाखा फैक्ट्री, शिवकाशी (1 जुलाई):

- विस्फोट में 8 श्रमिकों की मौत।

बोमोर थर्मल पावर स्टेशन, चेन्नई (30 सितंबर):

- 10 मीटर ऊँचा कोल-हैंडलिंग प्लांट ढह गया, 9 श्रमिक मारे गए।
- कारण: संभवतः *खराब डिज़ाइन, कमज़ोर मचान (scaffolding)* या *अपर्याप्त एंकरिंग*।

सांख्यिकीय संदर्भ:

- *ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल* का अनुमान है कि विश्वभर में होने वाली हर चार औद्योगिक मौतों में से *एक भारत में होती है*।
- यह आँकड़ा भी *संयमित (conservative)* माना जाता है क्योंकि *ठेका व असंगठित श्रमिकों* से जुड़ी कई घटनाएँ रिपोर्ट नहीं होतीं।

---

2. कार्यस्थल दुर्घटनाओं के कारण

मुख्य कारण:

- दुर्घटनाएँ "अपरिहार्य" नहीं, बल्कि *नियोक्ता की लापरवाही* का परिणाम होती हैं।

रोकथाम के उपाय:

- उचित *डिज़ाइन, रखरखाव, सुरक्षा प्रणाली, संरक्षणात्मक प्रक्रिया* और *प्रशिक्षण*।

आईएलओ के अनुसार मूल कारण:

- प्रबंधन द्वारा *लाभ अधिकतम करने हेतु सुरक्षा खर्च में कटौती*।
- नियोक्ताओं द्वारा *लंबे कार्य घंटे, अपर्याप्त विश्राम, अत्यधिक कार्य दबाव* और *कम वेतन* जैसी नीतियाँ — जिससे श्रमिकों को *दोहरी पाली* करनी पड़ती है।
- तथाकथित "मानव त्रुटि" प्रायः इन *दुर्बल श्रम प्रथाओं* का परिणाम होती है।

---

3. भारत में श्रमिकों की सुरक्षा हेतु कानून

ऐतिहासिक संदर्भ:

- पहला *फैक्ट्री अधिनियम* 1881 में पारित हुआ।
- स्वतंत्रता के बाद *फैक्ट्री अधिनियम, 1948* श्रमिक सुरक्षा की नींव बना।

वर्तमान समस्या:

- यह ढाँचा *पुराना* है — एक *निर्माण-आधारित अर्थव्यवस्था* के लिए तैयार, जबकि आज *ठेका और असंगठित श्रम* हावी है।
- कानून *नियोक्ताओं को आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराते*।
- मुआवज़ा अक्सर *सरकारी "एक्स ग्रेशिया" भुगतान* के रूप में आता है, जिससे नियोक्ता जिम्मेदारी से बच

जाते हैं और मुआवज़ा "दान" बन जाता है।

---

4. वर्तमान स्थिति: अधिकारों का क्षरण (Erosion of Rights)

1990 के दशक से:

- श्रम सुरक्षा को व्यवस्थित रूप से *कमज़ोर* किया गया है।

नियोक्ताओं की माँग:

- *"लचीलापन"* — बिना निगरानी के मनमाने ढंग से *भर्ती, बर्खास्तगी* और *कार्य निष्पादन* का अधिकार।

सरकार की भूमिका:

- *निरीक्षणों को कमज़ोर करना* और *कानूनों को पतला करना*।
- *सुरक्षा नियमों* को "व्यवसाय में बाधा" के रूप में प्रस्तुत करना।

उदाहरण:

- *महाराष्ट्र (2015)* — "स्व-प्रमाणन" (self-certification) प्रणाली।
- *ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस* अभियान के तहत राज्यों पर दबाव कि वे सुरक्षा नियम शिथिल करें।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता (OSH Code), 2020:

- फैक्ट्री अधिनियम को बदलने का प्रस्ताव।
- इससे *स्वास्थ्य और सुरक्षा* एक *कानूनी अधिकार* से *सरकारी विवेकाधिकार* में बदल जाएगी — यानी अधिकार नहीं, *सरकार की कृपा* बन जाएगी।

अन्य झटके:

- *कार्य घंटे बढ़ाना* — कोविड काल में शुरू की गई व्यवस्था को *कर्नाटक (2023)* में स्थायी किया गया।
- इससे *दैनिक कार्य समय* बढ़ा और *आराम की अवधि* घटाई गई।

---

5. निष्कर्ष एवं लेखक का तर्क

लेखक: गौतम मोदी (महासचिव, *न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव*)

मुख्य तर्क:

सुरक्षित कार्यस्थल न केवल श्रमिकों के जीवन की रक्षा करते हैं, बल्कि *उत्पादकता और लाभ* भी बढ़ाते हैं।

फिर भी भारत में *व्यवसाय संस्कृति* ऐसी है जो *न्यूनतम जिम्मेदारी के साथ अधिकतम श्रम* निकालने पर केंद्रित है।

आवश्यक सुधार:

1. राज्य को *कार्यस्थल सुरक्षा* को *असमझौताकारी अधिकार (non-*

negotiable right) के रूप में पुनर्स्थापित करना चाहिए।

2. *निरीक्षण प्रणाली* को पुनः *प्रवर्तन उपकरण (enforcement mechanism)* के रूप में स्थापित किया जाए।
3. *नियोक्ताओं को आपराधिक रूप से जिम्मेदार* ठहराया जाए — विशेषकर *टाली जा सकने वाली मौतों* के मामलों में।

HOW TO USE IT

प्राथमिक प्रासंगिकता: सामान्य अध्ययन पत्र-II (शासन, सामाजिक न्याय)

यह सबसे उपयुक्त फिट है, क्योंकि यह मुद्दा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में *सरकार के कर्तव्य* से जुड़ा हुआ है।

1. विभिन्न क्षेत्रों में विकास हेतु सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

कैसे उपयोग करें:

यह लेख हाल की सरकारी नीतिगत प्रवृत्तियों की तीखी आलोचना प्रस्तुत करता है।

नीतियों का पतन (Policy Dilution):

फैक्ट्री अधिनियम, 1948 से *व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता (OSH Code), 2020* में बदलाव — नीति पतन का प्रमुख उदाहरण है।

लेख का यह तर्क कि इससे *सुरक्षा एक "कानूनी अधिकार" से "सरकारी विवेकाधिकार" में बदल जाती है* — "ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस" के नाम पर *नीतिगत पतन* का सशक्त आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

"Ease of Doing Business" का मूल्यांकन:

आप इस बिंदु का उपयोग यह तर्क देने के लिए कर सकते हैं कि *अंधाधुंध नियामक शिथिलीकरण* — जैसे महाराष्ट्र का *"स्व-प्रमाणन" मॉडल* — अल्पकालिक लाभ के लिए *मानव जीवन की कीमत* चुकाने जैसा है।

यह राज्य के *सामाजिक न्याय के उद्देश्यों* को कमजोर करता है।

संभावित प्रश्न:

"'Ease of Doing Business' और श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा के लक्ष्यों के बीच एक अंतर्निहित तनाव है।" चर्चा करें।

2. समाज के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

कैसे उपयोग करें:

औद्योगिक श्रमिक — विशेष रूप से *ठेका और असंगठित क्षेत्र* के — समाज के *कमजोर वर्ग* माने जाते हैं।

लेख यह स्पष्ट करता है कि राज्य इस समूह की

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

सुरक्षा में *विफल* रहा है।

सार्वजनिक कोष से एक्स ग्रेशिया भुगतान की प्रथा, नियोक्ताओं को *आपराधिक जिम्मेदारी से मुक्त* करती है।

यह जवाबदेही तंत्र की असफलता को दर्शाती है।

प्राथमिक प्रासंगिकता (द्वितीयक): सामान्य अध्ययन पत्र-III (अर्थव्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन)

---

1. भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन, संसाधन-संग्रह, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे

कैसे उपयोग करें:

यह विषय भारत के *विकास मॉडल* के केंद्र में है।

रोजगार की गुणवत्ता (Quality of Employment):

"लचीलापन" (जैसे — नियुक्ति, बर्खास्तगी, लंबे कार्य घंटे) पर जोर देने वाला मॉडल *लागत-न्यूनन (cost-cutting)* को प्राथमिकता देता है, न कि *उचित कार्य (decent work)* को।

यह *मानव पूंजी* और *सतत विकास* दोनों के लिए दीर्घकालिक रूप से हानिकारक है।

असंगठितीकरण (Informalization):

ठेका और असंगठित श्रमिकों के बीच बढ़ती दुर्घटनाएँ यह दर्शाती हैं कि *श्रमिक संरक्षण कानूनों* के दायरे से बाहर बढ़ती *असंगठित कार्यसंस्कृति* कितनी खतरनाक होती जा रही है।

---

2. आपदा और आपदा प्रबंधन (Disaster and Disaster Management)

कैसे उपयोग करें:

औद्योगिक दुर्घटनाएँ वास्तव में *मानव-जनित आपदाएँ (man-made disasters)* हैं।

लेख में स्पष्ट कहा गया है कि ये "दुर्घटनाएँ" नहीं बल्कि *नियोक्ताओं की लापरवाही का अनुमानित परिणाम* हैं।

यह इन्हें *आपदा जोखिम न्यूनीकरण (disaster risk reduction)* की विफलता के रूप में प्रस्तुत करता है।

उदाहरण: *सिगाची इंडस्ट्रीज* में *एम्बुलेंस की अनुपस्थिति* और *सुरक्षा अधिकारी का न होना* — तैयारी की घोर कमी दर्शाता है।

इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि — **सुरक्षा कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन ही औद्योगिक क्षेत्र में आपदा-रोकथाम का सबसे आवश्यक उपकरण है।**

मणिपुर डेटा 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के पैमाने को छुपाता है

1. मुख्य तर्क / विसंगति

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के 2023 के आंकड़े मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण

समग्र अपराधिक गतिविधि में भारी वृद्धि दिखाते हैं, लेकिन साथ ही यह **महिलाओं के खिलाफ अपराधों में significant गिरावट** दर्ज करते हैं, जो व्यापक यौन हिंसा के प्रलेखित सबूतों और रिपोर्टों का खंडन करता है।

2. संदर्भ: मणिपुर जातीय संघर्ष

- **संबद्ध पक्ष:** इंफाल घाटी स्थित मैतेई समुदाय बनाम पहाड़ी ज़िलों की कुकी जनजाति।
- **समयरेखा:** मई 2023 में शुरू हुआ और लेखन के समय तक जारी था।
- **प्रभाव:** सैकड़ों लोग मारे गए और लगभग 70,000 लोग विस्थापित हुए।
- **सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी:** जुलाई 2023 में महिलाओं के खिलाफ "सुनियोजित" और "अभूतपूर्व पैमाने" की यौन हिंसा की ओर ध्यान दिलाया।

3. एनसीआरबी डेटा विश्लेषण: परस्पर विरोधी रुझान

A. सामान्य अपराधों में उछाल (2022 बनाम 2023)

आंकड़े अधिकांश अपराध श्रेणियों में भारी वृद्धि दर्शाते हैं, जो संघर्ष की तीव्रता की पुष्टि करते हैं:

- **हिंसक और विनाशकारी अपराध:**
  - आगजनी: 27 → 6,208 (**+22,874%**)
  - दंगा: 84 → 5,421 (**+6,353%**)
  - हत्या: 47 → 151 (**+221.3%**)
  - हत्या का प्रयास: 153 → 818 (**+434.6%**)
- **संपत्ति अपराध:**
  - डकैती: 1 → 1,215 (**+121,200%**)
  - राहज़नी: 7 → 330 (**+4,614.3%**)
  - सेंधमारी: 39 → 183 (**+369.2%**)
- **अन्य अपराध:**
  - समुदायों के बीच शत्रुता फैलाना: 15 → 473 (**+3,053.3%**)

B. महिलाओं के खिलाफ अपराधों में रिपोर्ट की गई गिरावट

समग्र उछाल के बावजूद, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की प्रमुख श्रेणियों में कमी दिखाई दी:

- **समग्र:** महिलाओं के खिलाफ संज्ञेय अपराधों में 30% गिरावट।
- **बलात्कार:** 42 → 27 मामले (**-35.7%**)
- *मर्यादा भंग करने के इरादे से हमला:* 67 → 66 मामले (**-1.5%**)
- **यौन उत्पीड़न:** 5 → 1 मामला (**-80%**)

- **नाबालिग लड़कियों का बलात्कार (POCSO):** 44 → 43 मामले (**-2.3%**)

4. महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरोधाभासी सबूत

कई स्रोत ऐसे कई घटनाक्रमों का दस्तावेजीकरण करते हैं जो एनसीआरबी की रिपोर्ट की गई गिरावट का खंडन करते हैं:

- **कुकी-ज़ो विधायक (जुलाई 2023):** एक बयान में मई 2023 के बाद से उनकी समुदाय की कम से कम चार घटनाओं का ज़िक्र किया गया जहाँ महिलाओं का बलात्कार या हत्या की गई।
- **विशिष्ट एफआईआर:** इंफाल पूर्व में एक कार वॉश सेंटर पर लगभग 100-200 लोगों की भीड़ द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित करने की एक सूचित घटना (मई 2023)।
- **राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) से अपील:** राष्ट्रीय महिला आयोग को कई घटनाओं से अवगत कराया गया, जिनमें मणिपुर विश्वविद्यालय और एक नर्सिंग संस्थान में उत्पीड़न और इंफाल में चार महिलाओं के सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप शामिल थे।

5. निष्कर्ष: डेटा विसंगति की व्याख्या

- सामान्य अपराधों में उछाल और महिलाओं के खिलाफ रिपोर्ट किए गए अपराधों में गिरावट की स्थिति **बड़े पैमाने पर अंडररिपोर्टिंग** की ओर इशारा करती है।
- हालांकि सामाजिक कलंक के कारण अंडररिपोर्टिंग एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा है, मणिपुर के संघर्ष ने इस समस्या को और भी स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया है, जिसका अर्थ है कि आधिकारिक आंकड़े संघर्ष के दौरान महिलाओं द्वारा झेली गई हिंसा के वास्तविक पैमाने को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

HOW TO USE IT

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर I (भारतीय समाज)

यह सबसे प्रत्यक्ष रूप से फिट है, क्योंकि यह महिलाओं की भूमिका और संघर्ष के सामाजिक प्रभाव से संबंधित है।

1. **महिलाओं की भूमिका और महिला संगठनों का योगदान:**

कैसे उपयोग करें: डेटा में विसंगति यह स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे संघर्ष क्षेत्रों में महिलाएँ "अदृश्य" पीड़ित बन जाती हैं।

- **यौन हिंसा की कम रिपोर्टिंग:** मुख्य तर्क यह है कि संघर्ष के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराधों की भारी मात्रा में

रिपोर्ट नहीं होती, यह कलंक, भय और कानून-व्यवस्था के टूटने के कारण होता है। यह महिलाओं की संवेदनशीलता और उनके संरक्षण या पीड़ा को दर्ज करने में सिस्टम की विफलता को उजागर करता है।

- **यौन हिंसा का हथियार के रूप में उपयोग:** संघर्षों में यौन हिंसा अक्सर "शत्रु" समुदाय के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल होती है। सुप्रीम कोर्ट के "सिस्टमिक" और "अपूर्व" हिंसा के हवाले से यह मामला केवल आंकड़ों से परे संघर्ष का महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है।

संभावित प्रश्न: *"संघर्ष की परिस्थितियों में, महिलाएँ अक्सर हिंसा की मुख्य शिकार होती हैं, फिर भी उनकी पीड़ा का अधिकांश हिस्सा दर्ज नहीं होता।" हाल के उदाहरण के साथ चर्चा करें।*

प्राथमिक प्रासंगिकता: जीएस पेपर II (शासन और सामाजिक न्याय)

यह मुद्दा शासन, संस्थागत अखंडता और न्याय प्रदान करने की क्षमता की गंभीर परीक्षा है।

1. **शासन:**

कैसे उपयोग करें: एनसीआरबी डेटा विवाद एक शासन और पारदर्शिता की विफलता को प्रकट करता है।

- **जवाबदेही के लिए डेटा का उपयोग:** विश्वसनीय डेटा ठोस नीति की नींव है। एनसीआरबी के आंकड़ों और वास्तविक रिपोर्टों (सुप्रीम कोर्ट, विधायक, FIR) के बीच विरोधाभास यह दर्शाता है कि डेटा को मनमाने ढंग से प्रस्तुत या अविश्वसनीय बनाया जा सकता है, जिससे राज्य की जवाबदेही और प्रभावी प्रतिक्रिया बाधित होती है।
- **संस्थाओं की विफलता:** यह विफलता बहु-स्तरीय है: स्थानीय पुलिस (रिकॉर्डिंग), राज्य सरकार (रिपोर्टिंग), और राष्ट्रीय एजेंसियां (संकलन)। यह केस स्टडी आंतरिक संघर्ष के दौरान शासन की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए उपयोगी है।

संभावित प्रश्न: *"शासन की गुणवत्ता अक्सर इसके डेटा की विश्वसनीयता में परिलक्षित होती है।" भारतीय संदर्भ में इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करें।*

2. **संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याण योजनाएँ:**

कैसे उपयोग करें: संघर्ष क्षेत्र की महिलाएँ अत्यधिक संवेदनशील वर्ग हैं। उनके खिलाफ अपराधों को सही तरीके से दर्ज करने में राज्य

की असमर्थता इसके संरक्षण और कल्याण कार्यों में गंभीर विफलता को दर्शाती है।

द्वितीयक प्रासंगिकता: जीएस पेपर III

(आंतरिक सुरक्षा)

मणिपुर संघर्ष स्वयं एक बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती है।

1. **आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ:**

कैसे उपयोग करें: आगजनी, दंगा और हत्या में वृद्धि आंतरिक सुरक्षा के गंभीर टूटने का सीधा संकेत है।

+22,874% आगजनी और +6,353% दंगों का डेटा संघर्ष के पैमाने का मात्रात्मक प्रमाण देता है, जिसका उपयोग जातीय संघर्ष के कारणों और परिणामों का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"